

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
११४	१३६	बाघवण	बारा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मथुरालाल	बनाम	सूचना २	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :- विविध संदर्भ

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
२२/७/१५	रिपोर्ट सरिस्ता देखी, प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर म्याद प्रस्तुत है तथा क्षेत्राधिकार में है। दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी हेतु दिनांक २२/९/१५ को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारा	
१०/१३/१५	पीठासीन अधिकारी ४७७ कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक ५-२-१६ को प्रस्तुत हो। रिडर उप खण्ड अधिकारी, बारा	
५-२-१६	पत्रावली पेश हुई कमील गरी उफा ऊर्ध्वरी की लखी घेउ लखना पेश की जावली कारि लखी दिनांक ६-५-१६ की पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारा	
६-५-१६	पीठासीन अधिकारी ४७७ कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक २६-५-१६ को प्रस्तुत हो। रिडर उप खण्ड अधिकारी, बारा	
२९-७-१६	पीठासीन अधिकारी ३१-५ कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक २९-७-१६ को प्रस्तुत हो। रिडर उप खण्ड अधिकारी, बारा	
२९-६-१६	पत्रावली पेश हुई कमील गरी उफा ऊर्ध्वरी का कनाड पेश हो उफा श्री पत्रावली कारि लखी दिनांक ३-१०-१६ की पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारा	
३-१०-१६	पीठासीन अधिकारी ३७७ कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक २८-११-१६ को प्रस्तुत हो। रिडर उप खण्ड अधिकारी, बारा	

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां


उनवान

मथुरालाल बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

दायरा तिथि :- 22.07.2015

प्रकरण संख्या D06/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा - कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिल्हा बासां उपखण्ड अधिकारी बारां</p>	